बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
संकल्प

डा0 राम किशोर सिंह, सह प्राध्यापक, एम. आई. टी. मुजफ्फरपुर द्वारा बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित M.Sc. Engineering डिग्री की अभातशिप का अनुमान्यता है अथवा नहीं से संबंधित दिनांक 24.07.2017 की बैठक में संस्थान के नियंत्रण पदाधिकारी/विभागीय पूर्वानुमति के बिना मंतव्य दिया गया एवम् कार्यवाही प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया गया। आपके इस अनुचित कार्रवाई से माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल. पी. ए. नं–1204/2016 एवं एल. पी. ए. नं.–1206/2016 में सरकार का पक्ष कमजोर हुआ। आपके इस कृत्य के कारण अभियंत्रण महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रकिया दूषित होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। आपके द्वारा राज्य सरकार एवं विधि द्वारा AICTE के निर्देशो का सरासर उल्लंघन किया गया है। आपका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, सरकारी निर्देशों का उल्लघंन एवं मनमानी का परिचायक है।

2. डा0 राम किशोर सिंह, सह प्राध्यापक, एम. आई. टी. मुजफ्फरपुर से इस संबंध में विभागीय पत्र सं. 2396 दिनांक 03.10.17 के द्वारा स्पष्टीकरण पृच्छा की गई थी। श्री सिंह द्वारा दिनांक 18.10.17 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

3. श्री सिंह का यह कृत्य घोर अनियमितता में सहयोग प्रदान करने तथा विधि द्वारा सत्यापित AICTE के निर्देशो का उल्लंघन है। अतएव विषयगत मामले सम्यक रूप से विचारोपरान्त प्रथमदृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम किशोर सिंह, सेवानिवृत सह प्राध्यापक, एम. आई. टी. मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी में निहित प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

I) विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री मिर्जा आरिफ रजा, उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा डा0 जगदानन्द झा, प्राचार्य, एम. आई. टी. मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि अनुलग्नक/आरोप प्रपत्र 'क' सहित सभी संबंधित को उपलब्ध करा दी जाए।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि0प्रा0(I)आरोप–18/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य सहित विभागीय संचालन पदाधिकारी–सह–उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–प्राचार्य, एम. आई. टी. मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयगत मामलों में विधिवत विभागीय कार्यवाही संचालित कर अधिगम दो माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

SHASHI KR. DT 28.11.17

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)आरोप–18/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य सहित डा0 आर0 के0 सिंह, सेवानिवृत प्राध्यापक, एम. आई. टी. मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि0प्रा0(।)आरोप–18/2017 3103 /पटना, दिनांक– 29-12-2017

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक/ विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना तथा विभागाधीनस्थ प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान/महिला पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

SHASHI KR. DT 28.11.17